आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी तारीख के सा 3.
21.03.2023	**उपायुक्त का न्यायालय, दुमका।** **SARFAESI वाद सं0–02 / 2022–23** **मुख्य प्रबंधक / शाखा प्रमुख, पंजाब नेशनल बैक,** **बोकारो मंडल शाखा केन्द.................................आवेदक।** **बनाम** **अनवारूल हक..विपक्षी।** **आदेश** यह SARFAESI वाद मुख्य प्रबंधक / शाखा प्रमुख, पंजाब नेशनल बैक, बोकारो मंडल शाखा केन्द्र, झारखण्ड ने मो0 अनवारूल हक, पिता–स्व0 एनुल हक, साकिन–डंगाल पाड़ा, मस्जिद के पास, पो0–दुमका, थाना–दुमका, जिला–दुमका के विरूद्ध SARFAESI ACT 2002 के धारा–14 के तहत् कार्रवाई करने हेतु पत्र समर्पित किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत मो0 अनवारूल हक, पिता–स्व0 एनुल हक, साकिन–डंगाल पाड़ा, मस्जिद के पास, पो0–दुमका, थाना–दुमका, जिला–दुमका के विरूद्ध प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा Mortgaged किये गये अचल संम्पत्ति को मुख्य प्रबंधक / शाखा प्रमुख, पंजाब नेशनल बैक, बोकारो मंडल शाखा केन्द्र, झारखण्ड को भौतिक दखल / कब्जा दिलाने हेतु पत्र में उल्लेख किया गया है। इस पर विपक्षी को कारण–पृच्छा को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त। विपक्षी की अधिवक्ता की ओर से आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया गया है कि दोनो पक्षों के बीच समझौता चल रही है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाय। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना मुख्य प्रबंधक / शाखा प्रमुख, पंजाब नेशनल बैक, बोकारो मंडल शाखा केन्द्र की ओर से उपस्थित पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक, दुमका शाखा को भी सुना गया। शाखा प्रबंधक की ओर से भी वाद को अस्त करने हेतु सहमति व्यक्त की गई। अतः उभय पक्ष के सहमति के आलोक में वाद की कार्रवाई अस्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, दुमका। — उपायुक्त, दुमका।	

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2023.04.18 17:07:56 +05:30
Location: 169.254.227.244